

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना / विज्ञप्ति

संख्या-पीआरपीबी-अनु-6-प-06 / 2015 दिनांक: लखनऊ, दिसम्बर 2 , 2016

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांकित 29.11.2016 द्वारा रिट याचिका संख्या-41418/2014 अरबिन्द चिकारा व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 04.10.2016 के अनुपालन में यह अंकित किया गया है कि संगत अधिसूचना दिनांक 07.04.2016 के आधार पर आरक्षी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2013 के चयन परिणाम में अब कोई परिवर्तन विधि सम्मत/समीचीन नहीं है।

2- उक्त सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित की जानकारी हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिका संख्या-41418/2014 अरबिन्द चिकारा व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य के साथ मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 04.10.2016 द्वारा निम्न रिट याचिकाओं को सम्बद्ध किया है:-

Writ A Nos. Writ-A No. 41418/ 2014, 41428/ 2014, 41431/ 2014, 41436/ 2014, 41663/ 2014, 41969/ 2014, 42653/ 2014, 43206/ 2014, 44328/ 2014, 46135/ 2014, 46362/ 2014, 46580/ 2014, 46716/ 2014, 47630/ 2014, 41962/ 2014, 47995/ 2014, 48297/ 2014, 48209/ 2014, 48417/ 2014, 48472/ 2014, 48500/ 2014, 48756/ 2014, 48899/ 2014, 49152/ 2014, 49456/ 2014, 49713/ 2014, 49857/ 2014, 42105/ 2014, 42395/ 2014, 42487/ 2014, 44355/ 2014, 44358/ 2014, 44361/ 2014, 45703/ 2014, 46012/ 2014, 46041/ 2014, 50899/ 2014, 49371/ 2014, 52598/ 2014, 54726/ 2014, 55051/ 2014, 45397/ 2014, 60920/ 2014, 18994/ 2015, 22567/ 2015, 16069/ 2015, 65317/ 2014, 16676/ 2015, 16746/ 2015, 16781/ 2015, 16795/ 2015, 16780/ 2015, 17084/ 2015, 17774/ 2015, 17503/ 2015, 17636/ 2015, 17353/ 2015, 17371/ 2015, 17563/ 2015, 18313/ 2015, 16397/ 2015, 16401/ 2015, 18046/ 2015, 18712/ 2015, 17654/ 2015, 17582/ 2015, 18584/ 2015, 18625/ 2015, 18640/ 2015, 18772/ 2015, 18786/ 2015, 18799/ 2015, 18798/ 2015, 19282/ 2015, 19296/ 2015, 19395/ 2015, 19489/ 2015, 19523/ 2015, 19572/ 2015, 19747/ 2015, 19756/ 2015, 19771/ 2015, 19775/ 2015, 19840/ 2015, 20158/ 2015, 20094/ 2015, 20177/ 2015, 20212/ 2015, 20260/ 2015, 20242/ 2015, 20423/ 2015, 20523/ 2015, 20703/ 2015, 20571/ 2015, 20605/ 2015, 20658/ 2015, 20678/ 2015, 20691/ 2015, 20706/ 2015, 20894/ 2015, 21074/ 2015, 21142/ 2015, 21077/ 2015, 21158/ 2015, 21106/ 2015, 21248/ 2015, 21387/ 2015, 21548/ 2015, 18168/ 2015, 21576/ 2015, 21595/ 2015, 21659/ 2015, 22044/ 2015,

21759/ 2015, 22111/ 2015, 22179/ 2015, 22186/ 2015, 22333/ 2015, 22336/ 2015, 22470/ 2015, 22468/ 2015, 22796/ 2015, 22529/ 2015, 22539/ 2015, 22558/ 2015, 22563/ 2015, 22660/ 2015, 22835/ 2015, 22843/ 2015, 18048/ 2015, 18394/ 2015, 18413/ 2015, 18415/ 2015, 18449/ 2015, 20642/ 2015, 22896/ 2015, 22986/ 2015, 23010/ 2015, 21204/ 2015, 6437/ 2015, 19007/ 2015, 18334/ 2015, 19052/ 2015, 19129/ 2015, 19174/ 2015, 23365/ 2015, 23368/ 2015, 23592/ 2015, 23992/ 2015, 24030/ 2015, 24145/ 2015, 24240/ 2015, 24243/ 2015, 24245/ 2015, 24311/ 2015, 24934/ 2015, 24954/ 2015, 25082/ 2015, 25177/ 2015, 25216/ 2015, 25262/ 2015, 25357/ 2015, 25393/ 2015, 25491/ 2015, 25536/ 2015, 25709/ 2015, 26161/ 2015, 26561/ 2015, 23154/ 2015, 27054/ 2015, 27110/ 2015, 27127/ 2015, 27170/ 2015, 27489/ 2015, 27786/ 2015, 27993/ 2015, 28257/ 2015, 28505/ 2015, 29435/ 2015, 29784/ 2015, 30017/ 2015, 30404/ 2015, 30876/ 2015, 31036/ 2015, 31380/ 2015, 32702/ 2015, 33539/ 2015, 33821/ 2015, 38384/ 2015, 39872/ 2015, 43075/ 2015, 41659/ 2015, 46508/ 2015, 54033/ 2015, 1343/2016, 44604/ 2015, and 25760/2016

3- उक्त रिट याचिकाओं के प्रकरण भी बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांकित 29.11.2016 द्वारा निस्तारित कर दिये गये हैं।

4- उत्तर प्रदेश शासन (विधायी अनुभाग-1) की अधिसूचना संख्या-584/79-वि-1-16-1 (क) 9-2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के माध्यम से प्रकाशित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2016, अधिसूचना की तिथि 07.04.2016 से प्रभावी हुआ है।

5- शासन के निर्देशानुसार उक्त संशोधन जिस दिनांक से अस्तित्व में आया है, उसी दिनांक अर्थात् दिनांक 07.04.2016 से प्रभावी होगा। आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013 की चयन प्रक्रिया के चयन परिणाम में अब कोई परिवर्तन विधि सम्मत/समीचीन नहीं है।

6- अतः प्रस्तर-2 में वर्णित समस्त रिट याचिकाओं के सभी याचीगण के प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

अपर सचिव (भर्ती),

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ